Regarding livelihood and compensation to people displaced due to Sarda Sahayak Pariyojna in Uttar Pradesh ? Laid

श्री सुदामा प्रसाद **(आरा) :** लंबे समय से शारदा नदी में पानी एकत्रित करने के कारण नदी तल में बालू और मिट्टी इकट्ठा होने से नदी उथली हो गई है । वह कई धाराओं में बहकर कृषि भूमि ,आबादी व फसल लगातार नष्ट कर रही है । बाढ़ के समय भारी तबाही मचती है । नदी कटान तेज हो जाता है । संकट के समाधान की जगह Uttar Pradesh सरकार ने शासनादेश संख्या 1417-27- सी -2-181 बाढ़ /09 दिनांक 16.3.2010 का हवाला देकर तटबंधों के बीच के संपूर्ण कृषि क्षेत्र व आबादी को डूब क्षेत्र/ फ्लड प्लेन जोन घोषित करके बिना मुआवजा संपूर्ण आबादी को विस्थापित करने का निर्देश जारी कर दिया है । (1) जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश स्थित शारदा सहायक सिंचाई परियोजना के लिए बने बांधों के बीच परियोजना से पहले बसे संक्रमणीय भूमिधर किसानों व खेत मजदूरो को डूब क्षेत्र/ फ्लड प्लेन जोन से विस्थापित करने के बाद उनके जीवकोपार्जन के लिए राज्य व केंद्र सरकार क्या व्यवस्था करेगी । 2- डूब क्षेत्र/ फ्लड प्लेन जोन से विस्थापित संक्रमणीय भूमिधर किसानों व खेत मजदूरो को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों से वंचित क्यों किया जा रहा है ।